

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्य प्रदेश**

क० 9/नर्सिंग/सेल-3/2018/

भोपाल दिनांक

**आदेश**

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित शासकीय चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत स्टॉफ नर्सों जिनके द्वारा सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ब्रिज प्रोग्राम का कोर्स सफलता पूर्वक उत्तीर्ण किया गया है कि काउंसिलिंग उपरांत इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है। किसी भी उद्देश्य के लिये इस पदोन्नति नहीं माना जावेगा।

क्रमांक	स्टाफ नर्स का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल	नवीन पदस्थापना स्थल
1	2	3	4
1	अंकिता सिकरवार	जिला चिकित्सालय भोपाल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भगोरा जिला राजगढ़
2	रीना पाटिल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपरिया जिला होशंगाबाद	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अहमदपुर जिला विदिशा
3	रश्मि सिसोदिया	जिला चिकित्सालय बैतुल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरावती घाट जिला बैतुल
4	रीना वासनिक	जिला चिकित्सालय सिवनी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बखारी जिला सिवनी
5	सरिका तिवारी	जिला चिकित्सालय सिवनी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ब्रम्हनी जिला सिवनी
6	भारती अवाधिया	जिला चिकित्सालय सिवनी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुहेरा जिला सिवनी
7	रामकली कौरी	जिला चिकित्सालय कटनी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बछिया जिला कटनी
8	ब्रजेश नंदनी दुबे	जिला चिकित्सालय उमरिया	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धमोखर जिला उमरिया

**नोट:-**

1. उक्त स्टॉफ नर्सों अनुबंध अनुसार पदस्थ किये गये हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में न्यूनतम 3 वर्ष तक कार्य करने हेतु अनुबंधित है सेवा प्रदाय नहीं किये जाने की स्थिति में राशि रूपये 2.00लाख अनुबंध अनुसार बसूला जावेगा। यदि स्टॉफ नर्स द्वारा पूर्व में अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया है तो कार्य मुक्त होने के पूर्व अनुबंध निष्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।
2. नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देना अनिवार्य है अन्यथा आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. उपरोक्त स्टॉफ नर्सों को उनके मूलवेतन के साथ कार्य आधारित मूल्यांकन के आधार पर राशि रूपये 15,000 तक प्रति माह देय होगा।

(रुही खॉन)

अपर संचालक नर्सिंग


संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश।

05 OCT 2018

पृ० क० ९/नर्सिंग/सेल-३/२०१८/ ७७८  
प्रतिलिपी :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

भोपाल दिनांक ३-१०-१८

1. प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, म०प्र० शासन।
3. मिशन संचालक, एनएचएम भोपाल, म०प्र०।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें।
5. मुख्य चिकित्सो एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला जिला भोपाल, राजगढ़, रीवा, कटनी, उमरिया, होशंगाबाद, विदिशा, सिवनी, बालाघाट, मण्डला, नरसिंहपुर।
6. प्रभारी एम.आई.एस.स्थानीय कार्यालय की ओर स्वास्थ्य विभाग की बेवसाईट पर प्रकाशित करने बावत्
7. संबधित की ओर प्रेषित कर लेख है कि नाम के सम्मुख दर्शाये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियत तिथी तक उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अपर संचालक (नर्सिंग)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश।

05 OCT 2018